satisfactory living and working conditions etc. are at times received from the workers. These are enquired into with the help of police authorities and the concerned missions abroad and appropriate action, including suspension and cancellation of the Registration Certificates, is taken according to the merits of each case. Public hearings are also held twice a week i.e. Tuesday and Friday from 11.30 A.M. to 12.30 P.M., in which both complaints and the Recruiting Agents are called and grievances settled in majority of the cases. During the last three years, 239 complaints were received against the Recruiting Agents and registration certificates of 26 Recruiting Agents were suspended.

Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped in Gujarat

2362. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have set up Vocational Rehabilitation Centres to provide gainful employment to handicapped persons in the State of Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) number of handicapped persons provided gainful employment through these centres in the State during the last three years, year-wise, district-wise; and

(d) other measures being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Two Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped are functioning each at Ahmedabad, and Vadodra in Gujarat. The Centre at Vadodra exclusively caters to women handicapped only.

(c) The number of persons rehabilitated by these Centres during the last three years was as indicated below:—

Centres	No. Rehabilitated		
	1994	1995	1996
1. Ahmedabad	341	422	528
2. Vadodra	90	140	65

District-wise information is not maintained.

(d) In addition, four special employment exchanges for physically handicapped are also functioning at Ahmedabad, Vadodra, Rajkot and Surat for providing gainful employment to the handicapped persons in Gujarat State.

गुजरात में औद्योगिक उपक्रमों में दुर्घटनाएं

2363. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, गुजरात में तथा विशेषकर कच्छ, अहमदाबाद और जामनगर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के औद्योगिक प्रतिष्ठान में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पर्याप्त सुरक्षा संबंधी उपाय प्रदान करने तथा भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में घटी दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है:—

	घातक	गैर-घातक	कुल
1993-94	197	16167	16364
1994-95	202	15409	15691
1995-96	176	16117	16293

कच्छ, अहमदाबाद और जामनगर संसदीय क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार थी:—

	कच्छ		अहमदाबाद		जामनगर	
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक
1993-94	2	24	29	4864	8	824
1994-95	1	23	14	8513	8	1225
1995-96	2	33	24	3575	6	767

(ख) से (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों के बारे में बताया गया है। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा उनका अनुपालन किया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने वर्ष 1995 में गुजरात कारखाना नियम, 1963 में संशोधन किया है। इन नियमों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी पर्याप्त सुरक्षा उपायों और कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में व्यवस्था की गई है। सुरक्षा संबंधी जागरूकता सृजित करने हेतु औद्योगिक कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। सभी घातक दुर्घटनाओं के बारे में गुजरात राज्य सरकार के कारखाना निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पड़ताल की जाती है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बारे में सुझाव दिया जाता है। किसी आपातिक स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और ऑन-साइट आपात योजना रिहर्सल आयोजित किए जाते है।

गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिक

2364. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात में जिला-वार कितने औद्योगिक श्रमिक हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, राज्य में जिला-वार कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों के खोलने/विस्तार करने का प्रताव है; और

(घ) क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत, राज्य के गैर-सरकारी औद्योगिक घरानों के कर्मचारियों को भी लाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) क०रा०बी० लाभों के लिए पात्र कर्मचारियों की जिला-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) जी, हां।

(ग) क०रा०बी० निगम क०रा०पी० अस्पतालों/औषधालयों के निर्माण के लिये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता है। क०रा०बी० अस्पतालों को मानकों के अनुसार अपेक्षित होने पर स्थापित किया जाता है जो कि प्रति हजार बीमित व्यक्तियों के लिये 4 बिस्तर है। गुजरात राज्य में फिलहाल 10 क०रा०बी० अस्पताल कार्यरत हैं। निगम जामनगर में एक और अस्पताल निर्माण करवा रहा है। सिद्धान्त रूप से निगम नरोदा स्थित 225 बिस्तरों वाले वक्ष अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले साधारण अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने के लिए भी राजी हो गया है। गुजरात में पहले ही 121 औषधालय कार्यरत हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही नए क०रा०बी० औषधालय खोले जाएंगे।

(घ) क०रा०बी० अधिनियम की धारा 2 (9) के अधीन यथा परिभाषित निजी औद्योगिक घरानों के कर्मचारियों को पहले ही क०रा०बी० योजना के अधीन शामिल किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	शामिल कर्मचारियों की संख्या
1.	अहमदाबाद	1,96,550
2.	भड़ौच	59,550
3.	बड़ौदा	57,000
4.	भाव नगर	9,600
5.	कैरा	11,100
6.	मेहसाना	29,200
7.	सुरेन्द्र नगर	9,300